



एचपीशिवा

हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिचाई एवं मूल्य वर्धन परियोजना

एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित

परियोजना अवधि जनवरी 2023 से दिसम्बर 2028

सामुदायिक बागवानी उत्पादक एवं विपणन (सीएचपीएम्माए) सहकारी समिति लि०



परियोजना प्रबन्धन इकाई
एचपीशिवा परियोजना, उद्यान विभाग,
नवबहार, शिमला-171002, हिमाचल प्रदेश

सीएचपीएमए सहकारी समिति

सीएचपीएमए क्या है?

सीएचपीएमए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग संचालित की जा रही हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य वर्धन परियोजना – एचपीशिवा (**Himachal Pradesh Sub-Tropical, Irrigation and Value Addition Project - HPSHIVA**) परियोजना के अन्तर्गत क्लस्टर स्तर पर कृषकों के द्वारा गठित एक समूह या सहकारी समिति है।

क्या सी.एच.पी.एम.ए. पंजीकृत समिति है?

परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर के स्तर पर एक सीएचपीएमए समूह का गठन किया जा रहा है, जो कि अनौपचारिक समूह है। एक या एक से अधिक क्लस्टर को मिलाकर बनाये गये क्लस्टर समूह में एक सीएचपीएमए को हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है।

सहकारी समिति के रूप पंजीकरण के क्या लाभ हैं?

हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 के तहत सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण करने पर निम्न लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं –

- सामुहिक उत्पादन।
- आगतों (Inputs) का सामुहिक क्रय।
- सामुहिक विपणन (Marketing)।
- समिति द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों का सामुहिक रूप से संचालन।
- उपयुक्त आगतों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि।
- सदस्यों/बागवानों का क्षमता विकास।
- उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- तकनीकी सेवाओं तक सामुहिक पहुंच।
- सामुहिक बचत।
- स्थानीय विकास।
- विभिन्न कंपनियों तथा ई-नाम (वन नेशन वन मार्केट), एग्रीमार्केट, डिजिटल मंडी आदि से सीधा जुड़ाव।
- व्यवसायिक गतिविधियों से लाभ का समान बंटवारा।
- सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सामुहिक लाभ।

सीएचपीएमए सहकारी समिति के सदस्य कैसे बन सकते हैं?

एचपीशिवा परियोजना के अन्तर्गत क्लस्टर स्तर पर वह बागवान, जिनके द्वारा बागवानी कार्य किया जा रहा है, उस क्लस्टर समूह की सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं। परन्तु एक परिवार से मात्र एक ही वयस्क सदस्य (वह जिसके नाम पर भूमि है अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य) समिति के सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक बागवान को सदस्य के रूप में पंजीकरण हेतु ₹50/- पंजीकरण शुल्क देना अनिवार्य होगा। समिति में 33 प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य हैं। समिति की प्रबन्धन समिति में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद पर चक्रीय क्रम में महिला सदस्य को नियुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।

समिति के प्रमुख दस्तावेज?

- सदस्यता रजिस्टर।
- केश बुक।
- लेजर बुक।
- ऐजेण्डा रजिस्टर।
- कार्यवाही रजिस्टर।
- बैंक अकाउंट।

प्रत्येक समिति को हर वित्तीय वर्ष में सहकारिता विभाग, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अंकेक्षक (Auditor) से अपने लेखा (Accounts) का आडिट (Audit) कराना अनिवार्य होगा।

समिति के प्रमुख कार्य?

समिति के प्रमुख कार्य निम्नवत रहेंगे –

- क्लस्टर में बागवानों को संगठित करना तथा उनकी क्षमता विकास करना।
- सदस्यों के माध्यम से उपोष्णकटिबंधीय फल फसलों के उत्पादन तथा प्रबन्धन में सहयोग प्रदान करना।
- सदस्यों को चिन्हित फल फसल के उत्पादन तथा फसल उत्पादों के प्रसंस्करण, लेबलिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन तथा फसल आधारित बीमा आदि में सहयोग करना।
- सदस्यों तथा अन्य हितधारकों को समस्त प्रकार की तकनीकी व सहायक सेवाएं सुलभ/उपलब्ध करना।
- सदस्यों की आर्थिक स्थिरता हेतु सहमति के आधार पर व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करना।
- समिति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के सापेक्ष सदस्यों से शेयर, उपयोगकर्ता शुल्क, आदि एकत्रित करना।
- सदस्यों के मध्य विवादों के निपटारे हेतु विवाद निपटारा समिति का गठन करना।
- समिति के कार्यों में सहयोग हेतु अन्य विविध उप समितियों जैसे जल उपयोगकर्ता समिति, क्रय समिति, विपणन समिति, शिक्षा समिति आदि गठित कर सभी सदस्यों का सहयोग लेना।
- व्यवसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ को सदस्यों को उनके द्वारा निवेश की गयी शेयर पूंजी के अनुपात में लाभांश के रूप में वितरित करना।

सीएचपीएमए सहकारी समिति की शेयर पूंजी?

परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत की जा रही प्रत्येक सी.एच.पी.एम.ए. सहकारी समिति हेतु ₹0 20,00,000 (₹0 बीस लाख मात्र) की शेयर पूंजी निर्धारित की गयी है, जिसका एक भाग/हिस्सा (Share) ₹0 500 का होगा अर्थात् प्रत्येक समिति के कुल 4000 शेयर होंगे। सदस्य के रूप में पंजीकरण के उपरांत प्रत्येक सदस्य अनिवार्य रूप से शेयर पूंजी के कुल चार अंश (शेयर) अर्थात् ₹0 2000 (₹0 500/प्रति शेयर की दर से) मूल्य के शेयर क्रय करेगा, जिसका उपयोग समिति द्वारा संचालित की जाने वाली व्यवसायिक गतिविधियों में किया जाएगा। यद्यपि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक सदस्य द्वारा समिति की कुल शेयर पूंजी के 1/5 भाग अथवा ₹0 1,00,000, जो भी कम हो, मूल्य के शेयर क्रय किये जा सकते हैं। लाभार्थियों में समानता बनाये रखने के दृष्टिकोण से परियोजना के आरम्भिक चरण में प्रत्येक सदस्य को मात्र चार शेयर क्रय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसे समिति की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

पंजीकरण शुल्क तथा शेयर पूंजी का क्या उपयोग है?

समिति के समस्त दस्तावेजों को व्यवस्थित करने, आधिकारिक तथा व्यवसायिक कार्यों/गतिविधियों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होगी, किन्तु गठन के आरम्भिक वर्षों में किसी विभाग/संस्था आदि से धन जुटाना संभव नहीं है। चूंकि समिति सहकारिता व सहयोग के मूल्यों पर आधारित है, अतः समस्त सदस्य आपसी सहयोग से धन की व्यवस्था करते हैं। पंजीकरण से प्राप्त धनराशि का उपयोग समिति के कार्यालयी कार्यों जैसे दस्तावेजीकरण, डाक व संचार, बैंक खातों के संचालन, आडिट आदि पर किया जाएगा। शेयर पूंजी का उपयोग समिति द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु किया जाएगा। शेयर पूंजी का उपयोग किसी भी दशा में कर्मचारियों को मानदेय, यात्रा, आदि हेतु नहीं किया जा सकेगा।

उपयोगकर्ता शुल्क क्या है?

उपयोगकर्ता शुल्क परियोजना के तहत क्लस्टर के विकास हेतु जुटाये गये संसाधन या सुविधा के प्रबन्धन व संचालन हेतु सदस्यों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एकत्रित किया जाने वाला शुल्क है, जिसे समिति सदस्यों की क्षमता के अनुसार निर्धारित कर सकती है। यह शुल्क समिति के द्वारा एकत्रित किया जाएगा तथा प्रतिमाह समिति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। क्लस्टर के अंतर्गत बागवान की कुल भूमि अथवा क्लस्टर के अंतर्गत बागवान की भूमि पर वृक्षों की संख्या के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि एक क्लस्टर में किसी सदस्य के कुल वृक्षों की संख्या 250 है तथा समिति प्रति वृक्ष ₹0 0.50 की दर से प्रतिमाह उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित करती है, तो उस सदस्य को प्रतिमाह ₹0 125 या एक वर्ष में ₹0 1500 की राशि समिति को देनी होगी। इस धनराशि का उपयोग, यदि आवश्यक हो तथा अन्य मद में व्यय किया जाना तय न किया गया हो, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है।

विवाद निपटारा समिति

प्रत्येक सीएचपीएमए समूह तथा सीएचपीएमए सहकारी समिति के स्तर पर न्यूनतम पांच सदस्यों की एक विवाद निपटारा समिति का गठन किया जाएगा, जो सदस्यता, पूंजी के उपयोग, सदस्यों के मध्य भूमि संबंधित विवाद तथा अन्य प्रकार के विवादों का निपटारा पूर्ण सुनवाई के उपरांत निष्पक्ष रूप से करेगी। विवाद निपटारा समिति में न्यूनतम एक महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। इस समिति का निर्णय संबंधित पक्षों को मान्य होगा। संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में शिकायत को एचपीशिवा परियोजना के तहत तैयार विवाद निपटारा प्रणाली (Grievance Redressal Mechanism) के तहत अगले स्तर के लिए अग्रेसित किया जाएगा।

उत्पादों का मूल्य वर्धन तथा विपणन

समिति के सदस्य विभिन्न उत्पादों का प्रसंस्करण (Processing), मूल्य वर्धन (Value Addition) व विपणन (Marketing) समिति के माध्यम से करेंगे। समिति द्वारा शेयर पूंजी तथा अन्य स्रोतों से जुटायी गयी धनराशि का उपयोग सदस्यों से फल उत्पादों को क्रय करने हेतु किया जा सकेगा। समिति द्वारा इन उत्पादों को सीधे अथवा मूल्यवर्धित कर बाजार में संबंधित क्रेताओं से व्यवसायिक संपर्क स्थापित कर किया जाएगा। फलों के उत्पादन व विपणन के अतिरिक्त सहकारी समिति अपने सदस्यों को रोजगार तथा आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट व्यवसायिक योजना तैयार कर अन्य सहायक व्यवसायिक गतिविधियों जैसे इनपुट शाप के माध्यम से बागवानी संबंधी सामग्री का क्रय व विपणन, सदस्यों के माध्यम से मौन पालन, मशरूम उत्पादन, फलों का फुटकर विपणन (Retail Marketing), बागवानी पर्यटन, प्रसंस्करण, आदि का संचालन भी कर सकेगी।

सहकारी समिति की पूंजी

सीएचपीएमए सहकारी समिति निम्न स्रोतों से पूंजी (Fund) जुटा सकती है –

- समिति की नियमावली की शर्तों के अनुसार सदस्यों से भागधन/हिस्सा पूंजी (Share Capital), अनुदान (Grant), निक्षेप (Deposit) तथा ऋण (Loan) के द्वारा।
- बैंकों, संस्थाओं, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में, निधियों और गारंटी, हिस्सा पूंजी को छोड़कर, के निवेश से।
- किसी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त दान, चन्दा, अनुदान, मार्जिन मनी, आदि।
- बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर वित्तीय संस्थाओं से ऋण, नकद साख (कैश क्रेडिट) व अग्रिम धनराशि।
- प्रबन्धन शुल्क या संचालन शुल्क तथा उपयोगकर्ता शुल्क या सुविधा शुल्क।
- वित्तीय व अन्य संस्थाओं से प्राप्त कमीशन, मानदेय, संचालन शुल्क, आदि।
- सीएचपीएमए सहकारी समिति द्वारा संचालित व्यवसाय पर लाभ।

एचपीशिवा परियोजना से सम्बंधित जानकारी के लिए संपर्क करें			
निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला – 171002 फोन : +91-177-2842390 ई-मेल : horticult-hp@nic.in	परियोजना निदेशक / परियोजना उपनिदेशक / नोडल अधिकारी एचपीशिवा परियोजना प्रबन्धन ईकाई, उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला – 171002 फोन : +91-177-2841120 मो : +91-7018615569 / 7018134993 ई-मेल : pmuhpshiva@gmail.com / nodalofficerhpshiva@gmail.com	परियोजना उपनिदेशक एचपीशिवा परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, जल शक्ति विभाग, जल शक्ति भवन, शिमला फोन : +91-1905-292113 मो : +91-9816573293 / 9418465461 ई-मेल: deepakgarg5461@gmail.com	उप निदेशक उद्यान / जिला समन्वयक / प्रबन्धन विशेषज्ञ बिलासपुर : ddhbilaspur63@gmail.com मण्डी : horticulturemandi@gmail.com कांगडा : ddhkangra@yahoo.in / ddhkangra@gmail.com हमीरपुर : ddhhamirpur@gmail.com सोलन : ddsolan@gmail.com सिरमौर : ddhsirmour7@gmail.com ऊना : ddhuna@rediffmail.com
समस्त विषय विशेषज्ञ उद्यान, उद्यान विकास अधिकारी, सहायक उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान प्रसार अधिकारी एवं क्लस्टर प्रभारी			

“आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। एचपीशिवा को बढाना है।”